



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या— FC/59/2021- 1021

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, पिन-834002

पटना 14, दिनांक— 29/07/2025

विषय— श्री अभिमन्यु कुमार द्वारा सारण जिलान्तर्गत पिपरहिया मौजा के खाता संख्या-66, प्लॉट संख्या-518, 519, 520, 521, थाना संख्या-217, थाना-इशुआपुर मसरख में मसरख-गौडा बाजार SH-90 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01275 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/141318/2021/4854, दिनांक 31.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 14.07.2025 द्वारा पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना के अधिसूचना संख्या-04, दिनांक 14.06.2024 द्वारा पेट्रोल पम्प को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र से मुक्त किया गया है, की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/59/2021- 1021

दिनांक— 29/07/2025

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/59/2021- 1021

दिनांक— 29/07/2025

प्रतिलिपि— श्री अभिमन्यु कुमार, पिता—श्री नागेन्द्र तिवारी, ग्राम—पीपरहिया, पोस्ट—उश्रीकला, थाना—ईशुआपुर, जिला—सारण, पिन—841443 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

28/07/25

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार पटना।

विषय - पथ निर्माण विभाग का अनापत्ती प्रमाण-पत्र
समर्पित करने के संबंध में,

14/05

महोदय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि
कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमापन
द्वारा से अनापत्ती प्रमाण पत्र निर्गत किया गया
है। जो आपके कार्यालय में समर्पित कर रहा है।
एवं संबंधित विभागीय वेबसाइट पर भी द्वारा
अपलोड कर दिया गया है।

अतः श्री मान से अनुरोध है
कि मुझे सैद्धान्तिक स्वीकृति दिलाने की कृपा
की जाए।



आपका विश्वासी

अभिमान्यु कुमार

पिता - श्री नारायण तिवारी

ग्राम - पिपरहिर्मा

पो - उरुते चरवा

थाना - डहकुआपू

सारण, बिहार

Mob. No - 9708571311

14-05-2025.



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, छपरा।

Email ID:- eercdchapra@gmail.com, Mob-9470001304



पत्रांक- 1792 (अनु०)

छपरा, दिनांक- 05/07/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, छपरा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा।

विषय:-

पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत मौजा- पिपरहिया, खाता-सं०- 66, खेसरा नं०- 518, 519, 520, 521 थाना नं०- 217, थाना- इसुआपुर, जिला-सारण में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर का पत्रांक-1045 अनु०, दिनांक-01.07.2025 एवं पत्रांक-1114 अनु० दिनांक-18.10.2024
- (ii) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापक-1932, दिनांक-20.06.2025 एवं ज्ञापक-1744 दिनांक-25.09.2024

महोदय

उपर्युक्त विषयक संबंध न कहना है कि प्रासंगिक पत्र (i) एवं (ii) द्वारा विषयांकित HPCL प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग के भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु (05) पाँच वर्षों के लिए औपबंधिक अनापति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश पत्रांक-80(E), दिनांक-04.01.2024 तथा संकल्प सं०- 1921(S), दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की गई है तथा प्रासंगिक पत्र के कॉडिका-06 के आदेश के अनुपालन में मूल नक्शा एवं चेक लिस्ट में Acceleration Lane & Deceleration Lane का प्रावधान करा लिया गया है।

अतः उक्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना से संबंधित मूल नक्शा एवं प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

- अनु०- (1) मूल नक्शा 01 (एक) प्रति।
(2) प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

[Signature]
04/07/25

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, छपरा।

04.7.25